# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- श्री श्री एल. शर्मा, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 47/2018

1- श्री रामलाल पिता भेरा जाट नि० जोरावरपुरा तह. मांडल
——प्रार्थी

वनाम

1- श्री भमना पिता रूपा जाट नि० जोरावरपुरा तह. मांडल वगैरह
——विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा०भू०रा०अधि० 1956

:: आ दे श :: दिनांक:- 10-4-18

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र, अन्तर्गत धारा 111–128 रा०भू०राज०अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जोरावरपुरा ...... पटवार हल्का जोरावरपुरा तहसील मांडल / करेडा मे उसके खाते / संयुक्त खातों की आराजी नं ......564...... कुल किता 1 ..... रकबा 7.... बीघा 08....बिस्वा स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुत्तदायिया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे दिनांक 19.2.18 ....को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा फेरी होने का आदेश नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यो को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य हैं।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम जोरावरपुरा पटवार हल्का जोरावरपुरा तहसील मांडल / करेडा मे स्थित आराजी नम्बर ......564...... कुल किता 1 ........रकबा 7.....बीघा 08 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक नागोर ......को 500/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार मांडल / करेड़ा को नजायज लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा